2/07/2021

विवरणी

अभिलेख उपस्थापित। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार मुल्हा भोगता पिता- भुखा भोगता को खास नोटिस निर्गत किया गया था जो अभिलेख में संलग्न है। अवैध/संदिग्ध भूमि के जमाबन्दीदार के महेन्द्र भोगता द्वारा सुनवाई के दौरान विषयगत अवैध/संदिग्ध भूमि ग्राम पालेमुण्डा, खाता सं० 101 प्लॉट सं० 01 रकबा 2.40 ए० वर्ष 2005-06 का लगान रसीद प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के दौरान महेन्द्र भोगता ने अपना लिखित बयान दिया है कि उनके पास लगान रसीद के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज नहीं है। राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल निरीक्षक से चेक लिस्ट में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख में संलग्न है, अवलोकन किया गया।

10/4/21

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि पंजी ii में उक्त भूमि के संदिग्ध/अवैध जमाबन्दीदार के नाम से जमाबन्दी कायम होने का आधार दर्ज नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि विषयगत भूमि ग्राम- पालेमुण्डा खाता नं0 101 प्लॉट नं0 01 सर्वे खतियान में किस्म जंगल दर्ज है जो सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II(ii) के अनुसार प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी है एवं नियमितिकरण योग्य नहीं है। रा0उ0नि0 एवं अं0नि0 ने जमाबन्दी रद् करने हेतु अनुशंसा किया है। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मुल्हा भोगता पिता - भुखा भोगता, ग्राम - पालेमुण्डा के नाम से चल रही निम्नांकित जमाबन्दी संदिग्ध/अवैध जान पड़ता है :–

मौजा	थाना संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा
1	2	3	4	5
पालेमुण्डा	63	101	01	2.40 ए०

अतः मुख्य सचिव, झारखण्ड राँची का पत्रांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 के कंडिका–5 के उप कंडिका II(ii) एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 के धारा 4(h) के तहत उक्त जमाबंदी को रद् किया जाता है।

लेखापित
10/4/21
अंचल अधिकारी,
बोलबा।

10/4/21
अंचल अधिकारी,
बोलबा।

Digitally signed by Baliram Manjhi
Date: 2021.07.15 16:51:08 +05:30
Location: 192.168.43.205

Scanned with CamScanner